भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4779

29 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

गेहूं का भंडार

4779. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं का भंडार 2023 में छह साल के निचले स्तर तक गिर गया है, जिससे गेहूं और आटे की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने 2022 के दौरान काफी कम गेहूं खरीद के कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गेहूं का भंडार बढ़ाने हेतु और संभावित मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में रखने हेतु वर्ष 2023 में गेहूं की खरीद बढ़ाने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए जाने वाले हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले 6 वर्षों के लिए केन्द्रीय पूल में गेहूँ का स्टॉक निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	की स्थिति के अनुसार	मात्रा (लाख टन में)
1.	01.02.2017	115.52
2.	01.02.2018	175.47
3.	01.02.2019	239.31
4.	01.02.2020	303.66
5.	01.02.2021	318.31
6.	01.02.2022	282.73
7.	01.02.2023	154.44

(ख): खाद्य अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई महंगाई की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और बाजार मूल्यों को स्थिर रखने के लिए, वर्ष 2023 हेतु खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) ओएमएसएस (डी) नीति की समीक्षा सरकार द्वारा की गई थी और इसके पश्चात दिनांक 31.03.2023 तक गेहूं के आरक्षित मूल्य को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) गेहूं हेतु 2150 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कर दिया गया और कम किए गए विनिर्दिष्ट (यूआरएस) गेहूं हेतु 2125 रुपये प्रति क्विंटल (संपूर्ण भारत) तक कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एनसीसीएफ/नेफेड/निगमों/सहकारिताओं/संघों आदि को बिक्री हेतु, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वे गेहूं को आटे में परिवर्तित करेंगे और इसे 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ताओं को बेचेंगे, गेहूं का मूल्य 23.50 रुपये से 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम किया गया है।

.....2/-

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से 50 लाख टन गेहूं को दिनांक 31.03.2023 तक ओएमएसएस (डी), 2023 के अंतर्गत ऑफलोड करने का निर्णय लिया गया है।

ओएमएसएस के माध्यम से गेहूं का उठान दिनांक 27 जनवरी, 2023 से शुरू है, जिसके परिणामस्वरूप काफी हद तक मूल्यों में सुधार हुआ है। गेहूं का उठान जारी है, जिससे गेहूं के बाजार मूल्य में और कमी आ सकती है।

(ग): आरएमएस 2022-23 के दौरान, गर्मी का मौसम पहले आ जाने के कारण गेहूं का उत्पादन अनुमान से कम हुआ। इसके अलावा, विभिन्न भू-राजनीति कारणों से गेहूं का वैश्विक मूल्य ऊंचा रहा। समूचे देश में गेहूं के किसान उच्च बाजार दरों से लाभान्वित हुए क्योंकि अधिकांश किसानों ने एमएसपी की तुलना में उच्च बाजार दरों पर निजी व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचे। तद्नुसार, किसानों ने अपने उत्पाद के लिए अधिक प्राप्ति की, जो किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य है।

(घ): गेहूं की खरीद को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

- भारत सरकार ने पिछले वर्ष से 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त के साथ आरएमएस 2023-24 के लिए गेहूं का एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और भारत सरकार ने रबी विपणन मौसम 2023-24 हेतु 341.50 लाख टन गेहूं खरीद का अनुमान निर्धारित किया है।
- एमएसपी की घोषणा बुवाई के मौसम से काफी पहले की जाती है, ताकि किसान फसल की खेती के बारे में सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
- किसानों को गुणवत्ता विनिर्दिष्टों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि किसानों को अपनी उपज को विनिर्दिष्टों के अनुरूप लाने में सुविधा हो।
- संबंधित राज्य की खरीद क्षमता और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए, एफसीआई सहित खरीद एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा मंडियों और डिपुओं/गोदामों के अतिरिक्त प्रमुख बिंदुओं पर बड़ी संख्या में अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।
- आरएमएस वर्ष 2021-22 से पूरे देश में "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" लागू किया गया। एमएसपी का भुगतान सीधे तौर पर किसानों के खाते में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। डीबीटी ने फर्जी किसानों को खत्म कर दिया है और भुगतान के डायवर्जन और दोहराव को कम कर दिया है, क्योंकि भुगतान सीधे तौर पर किसानों के बैंक खाते में किया जा रहा है। एमएसपी के डीबीटी से जिम्मेदारी, पारदर्शिता और ईमानदारी आई है।

भारतीय खाद्य निगम और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी स्वयं की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है जो उचित पंजीकरण और वास्तविक खरीद की निगरानी के माध्यम से किसानों को पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करती है। खरीद एजेंसियों द्वारा लगाए गए ई-खरीद मॉड्यूल के माध्यम से, किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तारीख आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी मिलती है। इससे न केवल किसानों द्वारा स्टॉक की सुपुर्दगी के लिए प्रतीक्षा अवधि में कमी आयी है, बल्कि किसान निकटतम मंडी में अपनी सुविधा के अनुसार स्टॉक सुपुर्द करने में सक्षम भी हुए हैं।

*****